Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जिला कोटपूतली–बहरोड़ में आरोपी श्री महेन्द्र सिंह मौर्य कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर 5000/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 18 जुलाई, शुक्रवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी भिवाडी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी महेन्द्र सिंह मौर्य पुत्र बोदन लाल, निवासी ग्राम बालावास तहसील जिला कोटपूतली–बहरोड़ हाल कानूनगो तहसील कार्यालय बानसूर जिला कोटपूतली–बहरोड़ को 5,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी भिवाडी को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी ने बताया कि मेरी के नाम से सन् 2023 में राजस्व ग्राम केहर पुरा में पांच बिस्वा जमीन क्रय की गई थी, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 19.06.2023 को तहसील बानसूर में करवाई गई। हमारे द्वारा क्रय की गई जमीन की हल्का पटवारी को रजिस्ट्री देने पर पटवारी द्वारा नामान्तरण दर्ज करने की प्रक्रिया की गई, लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत बबेरा द्वारा उक्त नामान्तरण को यह लिखते हुये खारिज कर दिया कि मौके पर जमीन कब्जे में नहीं है। इसके बाद परिवादी ने उक्त नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए एसडीएम कोर्ट बानसूर में अपील हेतु प्रार्थना पत्र जरिये वकील पेश किया गया। एसडीएम कोर्ट द्वारा अपील पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार बानसूर को नामान्तरण नियमानुसार दर्ज करने के आदेश दिये गये। आदेश देने के बाद परिवादी तहसील बानसूर में ऑफिस कानूनगो महेन्द्र सिंह मौर्य से मिला औरा नामान्तरण के लिए पूर्ण कार्यवाही में क्रेता विक्रेता के बयान तथा पटवारी की मौका रिपोर्ट करवाकर उनको दे दी गई। जब परिवादी ने आरोपी से नामान्तरण की आगे की कार्यवाही के लिए आदेश चाहा तो उन्होने टाल मटोल कर फिर परिवादी से उसकी माता जी के नाम नामान्तरण दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी को आदेश दिलवाने के लिए 5,000/– रूपये रिश्वत की मांग के लिए परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस –चतुर्थ श्री अनिल कयाल** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी भिवाडी के **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी महेन्द्र सिंह मौर्य कानूनगो तहसील कार्यालय बानूसर जिला कोटपूतली बहरोड़ को 5,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।